विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर खण्ड जोधपुर

नैनी बाईजी का मंदिर, उदयमंदिर, जोधपुर E-Mail Id:- ac.jodhpur.dev@rajasthan.gov.in Tel. No- 0291-2650361

क्रमांक :– सम्पदा / देव / जोध. / 2022 / 1152 दिंनाक :– 10/05/2022

खुली बोली सूचना – 01 / 2022–23

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस विभाग के अधीनस्थ राजकीय आत्म निर्भर मंदिरो की अग्रलिखित कृषि भूमियों को वर्ष 2022–23 के लिये खुली बोली से मुनाफा काश्त पर दी जानी हैं। इच्छुक बोलीदाता नियत स्थान व समय पर बोली प्रारम्भ होने से पहले फोटोयुक्त परिचय पत्र के साथ उपस्थित होकर धरोहर राशी रूपये 5000/– जमा करा खुली बोली में भाग ले सकते है।

क. स.	नाम मंदिर मय श्रेणी स्थान	कृषि भूमि का कुल क्षेत्रफल	ग्राम / शहर जहाँ भूमि स्थित हैं	बोली दिंनाक	निलामी स्थल
01	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री कुजंबिहारी जी, जोधपुर	64 बीघा	ग्राम दांतीवाडा जिला जोधपुर	30.05.2022	12 बजे से दोपहर 3 बजे तक, पटवार भवन दांतीवाडा
02	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री सोमनाथ महादेव, पाली	14 बीघा 19 बिस्वा	सरदारसमंद रोड, जिला पाली	31.05.2022	11 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक श्री सोमनाथ मंदिर स्थल पर
03	राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री कुजंबिहारी जी, जोधपुर	81 बीघा 9 बिस्वा	ग्राम केरला जिला पाली	31.05.2022	दोपहर 3:00 बजे से सांय 6 बजे तक पटवार भवन रूपावास

नोट :– अन्य विवरण / शर्ते इस कार्यालय की विभागीय वेबसाइट devasthan.rajasthan.gov.in & sppp.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

NIB NO :- DEV2223A0004
UBN NO :- DEV2223WSOB00004

10/05/22
(जतीन कुमार गांधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर खण्ड जोधपुर

क्रमांक :– सम्पदा / देव / जोध. / 2022 / दिंनाक :–

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निलामी कार्यक्रम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें एवं निर्धारित दिंनाक को प्रधान कार्यालय का प्रतिनिधि भिजवाने का श्रम करावें।
2. श्रीमान् निदेशक, डी.आई.पी.आर जयपुर को जोधपुर के किसी एक दैनिक समाचार पत्र एवं पाली के किसी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ ।
3. तहसीलदार जोधपुर / पाली को उक्तानुसार मौके पर पटवारी भेजने हेतु।
4. निरीक्षक–।। श्री दीपक कुमार दवे / श्री ओमवीर टाडा, कार्यालय हाजा।
5. सहा.लेखाधिकारी –।। / कैशियर कार्यालय हाजा।
6. पटवारी ग्राम दांतीवाड़ा / पाली / ग्राम रूपावास को मौके पर उपस्थित होने बाबत।
7. प्रबंधक, संयुक्त निधि मंदिरान को नीलामी दिनांक को मौके पर उपस्थित होने बाबत्।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

10/05/22
(जतीन कुमार गांधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,जोधपुर

C:\D:\Devasthan\sampada\nilami infor.somnath mahadev.doc

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर खण्ड जोधपुर

नैनी बाईजी का मंदिर, उदयमंदिर, जोधपुर E-Mail Id:- Devasthanjodhpur@gmail.com, ac.jodhpur.dev@rajasthan.gov.in Tel. No- 0291-2650361

:: नीलामी की शर्ते ::

1. नीलामी बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपने फोटोयुक्त परिचय पत्र एवं 5000/– अक्षरे पांच हजार रूपये धरोहर राशि मौके पर जमा कराकर बोली मे भाग लेना होगा।
2. यह नीलामी कृषि वर्ष सवंत 2079 दिंनाक (1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023) फसल बोने व बाद में पाला (बोर) के झाड़ व खेजड़िया के लूंग की है।
3. खेजड़ियों के लुंग काटते समय केवल खेजड़िया की डालियां ही काटने दी जावेगी वृक्ष के तने व शाखाओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहूँचाने दी जावेगी।
4. जमा धरोहर राशि पर ब्याज देय नही होगा।
5. नीलामी बोली के समाप्ति पर अन्तिम बोली वाले व्यक्ति को सम्पूर्ण राशि मौके पर ही जमा करानी होगी।
6. (खरीफ) सावण काटने व लुंग पाला की फसल लेने के बाद कृषि भूमि निरीक्षक देवस्थान विभाग, जोधपुर को सम्भलानी पड़ेगी।
7. नीलामी बोली के दिन निलामी पूर्ण नही होने पर मौके की स्थिति अनुसार नीलामी कमेटी द्वारा समय बढाया जा सकता हैं/अगले कार्य दिवस पर सम्पन्न करायी जा सकती हैं/बन्द लिफाफो मे बोली ली जा सकती हैं।
8. नीलामी के पश्चात् ठेके की स्वीकृति या अस्वीकृति करना या दुबारा करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता सहायक आयुक्त/आयुक्त/राज्य सरकार देवस्थान विभाग, जोधपुर को होगा।
9. न्यूनतम सरकारी बोली निलामी कमेटी द्वारा पिछले वर्ष की बोली/तीन वर्षो के औसत के आधार पर तय कर प्रारम्भ की जावेगी व सरकारी बोली में कमी पेशी करने का अधिकार आयुक्त/सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को होगा।
10. नीलामी के बाद जो व्यक्ति फसल बोवेगा व जमीन सम्पदा को किसी प्रकार की क्षति नही पहुॅचायेगा। जमीन सम्पदा में क्षति होने पर संबंधित से वसूली की जावेगी।
11. नीलामी की शर्तो का उल्लघंन करने पर ठेका रदद करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता सहायक आयुक्त/आयुक्त/राज्य सरकार देवस्थान विभाग जोधपुर को होगा।
12. अन्तिम बोली दाता को नीलामी की सम्पूर्ण राशि तुरन्त जमा करानी होगी, रकम जमा न कराने पर नीलामी रदद् कर दुबारा नीलामी की कार्यवाही की जा सकेगी एवं बोलीदाता की धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

(जतीन कुमार गांधी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जोधपुर